राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

सत्यमेव जयते

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3202 / SEIAA/2022
Date: 26/2/22

प्रति,

कलेक्टर,
जिला –खण्डवा (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 8886 / 2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सखाराम यादव, निवासी ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसानुसार) एवं मुरूम 9510 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10 हेक्टेयर मे से 1.0016 हेक्टेयर (SEAC की अनुसंशानुसार उत्खनन हेतु शेष क्षेत्र) खसरा 92/2, ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 704 वी बैठक दिनांक 14.2.2022 को निम्ननुसार निर्णय लिया गया .....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वी बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई ...

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन की संरचना होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, खण्डवा से प्रस्तावित खदान के निकटतम पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत क्या उत्खनन कार्य किया जा सकता है, का स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तद्‌ानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत क्या उत्खनन कार्य किया जा सकता है ? उक्त संबध स्पष्ट अभिमत 10 दिवस के अंदर में सिया कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। तद्नुसार प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3203 /SEIAA/2022 दिनांक – 26/2/22

प्रतिलिपिः–

1. श्री सखाराम यादव, निवासी ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र) ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी